Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhindi(M.P.)

The Committee of the Committee of

26-1616

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री डी०एस० गुर्जर। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री केशवसिह गुर्जर। प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है। उभयपक्ष के आरोप तर्क सुने गए।

प्रकरण में आरोप पूर्व साक्षी अभियुक्त रामवरन के विरूद्ध उसके द्वारा परिवादी को दहेज की मांग के लिए अवैध रूप से इस प्रकार के आगरण जिससे कि आवेदिका आत्महत्या हेतु प्रेरित हो या उसके जीवन अंग अथवा स्वास्थ्य को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से गंभीर क्षति कारित होने की संभावना रही हो अथवा आवेदिका को अथवा उसके किसी नातेदार को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग पूरी करने के लिए प्रताडित किए जाने के द्वारा कूरता कारित की गयी हो। ऐसे में सहिता की धारा 498 क के अधीन अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु अभिलेख पर प्रस्तुत शपथ पूर्वक साध्य में कोई सारवान कथन नहीं किया गया है।

180

GRPG—72-Forms—24-6-16—1,00,000 Forms.

Order Sheet [Contd]

Case No. ? 20/./.0120

ror eding यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्राण

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

अतः अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा 498 क के अधीन आरोपी से उन्मोचन किया जाता है।

अभियुक्त के जमानत व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा

जाव

Judicial Magistrate First Class
of Gohad distt. Blaind (M.P.)